

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बाम से सी किचा जाए व  
कि किसी अच्छ पदाधिकारी के बाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3461

दिनांक: 30/07/11.....

### // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में  
परिविहार 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक  
(30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-  
महाविद्यालय का नाम : डी.वी.एस. महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, महाराजपुरा, ग्वालियर  
मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. विनायक सिंह तोमर, जनविज्ञान विभाग शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना  
2. श्री दशरथ सिंह गुर्जर, सदस्य, कार्यपरिषद्  
उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

#### प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, डी.वी.एस. महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2, महाराजपुरा, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद